131

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर
जिला– पटना

महाशय,

नगर पंचायत खुसरूपुर के वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1187/15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत् बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

ह0/-
(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/14537/332 **दिनांक–** 02.02.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना पिन–800001
2. जिलाधिकारी, पटना

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

130

नगर पंचायत खुसरूपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1187/15–16
(अवधि– 2012–13 से 2014–15)
भाग I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत खुसरूपुर
2. लेखा की अवधि :– 2012–2013 से 2014–15
3. लेखापरीक्षा का उद्देश्य :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किये गये पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई, की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 20.06.15 से 26.06.15
5. प्रशासन :–

1) मुख्य पार्षद	**अवधि**
क) श्री विजय प्रसाद	01.04.2012 से 12.02.2015
ख) श्री अशोक कुमार	13.02.2015 से 31.03.2015
2) उप मुख्य पार्षद	**अवधि**
क) अनिता देवी	01.04.2012 से 12.02.2015
ख) पुनम देवी	13.02.2015 से 31.03.2015
3) कार्यपालक पदाधिकारी	**अवधि**
श्री ललित मोहन प्रसाद	01.04.2012 से 21.11.2013
श्री एम0ए0 बुलंदअख्तर	22.11.2013 से 31.03.2015

6 लेखापरीक्षा दल के सदस्य

1. श्री रमेश कुमार अभिषेक (ले0प0)
2. श्री रौशन कुमार (ले0प0)
3. श्री राजेश कुमार–III (स0ले0प0अ0)

7 पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम– श्री प्रमोद कुमार सिंह (व0ले0प0अ0)

(129

8. **अंकेक्षण टिप्पणी**:– नगर पंचायत खुसरूपुर की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी,अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। माँग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसुली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाए। नगर पंचायत खुसरूपुर प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए अवरोधित राशि का उपयोग नही किया जा रहा था। नगर **पंचायत** प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

9 **कार्यपालक से वार्तालाप की गई** :– हाँ (26.06.2015)

10 लेखापरीक्षा का परिणाम :–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि–₹ 892.00

वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹ 1322264.00

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹ 6351232.00

विस्तृत विवरणी विवरण सं0–IV पर है।

11 बजट

(क) बजट प्राक्कलन बनाने में लेखा नियमावली का पालन नहीं

1. बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–132 के अनुसार वार्ड समिति या अन्य नागरिक संस्थानों द्वारा आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक वार्ड के नागरिकों की राय इकट्ठी की जायेगी। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी 15 जनवरी से पहले नागरिक सभा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अनुमानित आय तथा व्यय नागरिकों के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख तथा सशक्त स्थानीय समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहकर इसमें भाग लेंगे। नागरिकों के सुझाव, विचारों को वार्षिक बजट बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाना है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत, खुसरूपुर द्वारा बजट बनाते समय लेखा नियमावली, 2014 के नियम–132 का पालन नहीं किया गया था। इसके कारण बजट में सार्वजनिक सहभागिता शामिल नहीं हो पायी तथा बजट नागरिकों के मूल्यवान सुझावों एवं विचारों से वंचित रह गया। बजट प्राक्कलन बनाते समय बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–132 का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।

2. बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जॉच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। साथ ही, समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तव में पाँच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत, खुसरूपुर द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी थी तथा बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय–व्यय में अत्यधिक अंतर था।

जवाब दिया गया कि प्रशिक्षित लेखापाल नही रहने के कारण पूर्णतः पालन संभव नहीं हो पाया इसके अनुपालन की दिशा मे समुचित निर्देश लेखापाल को दिया जा रहा है।

12(क) त्रुटिपूर्ण बजट प्राक्कलन

नगर पंचायत खुसरूपुर द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83) वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलन पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया था इसके कारण अंकेक्षण द्वारा बजट में दर्शाये गये प्राप्तियों तथा व्ययो का वास्तविक आय –व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका। अंकेक्षण मे नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 में प्रस्तुत रोकड़बही के प्राप्तियों तथा व्ययो की तुलना बजट में दर्शाये गये अनुमानित आय –व्यय से करने पर पाया गया कि इन दोनों वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधनों के विरूद्ध वास्तविक आय–व्यय में काफी भिन्नता थी:–

विवरण	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**
बजट के अनुसार अनुमानित प्राप्ति	40317162	85309000	29560000
वास्तविक आय	14276820	9124595	21563141
बजट प्रतिशत	35%	10%	72%
बजट के अनुसार अनुमानित व्यय	33800000	61400000	29560000
वास्तविक व्यय	5928390	12758739	14160796
बजट प्रतिशत	17%	20%	47%

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रक्रिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाए गए राशि के विरूद्ध पाँच प्रतिशत एवं अधिक या कम का विचलन नहीं होना चाहिए, लेकिन नगर पंचायत द्वारा 2012–13 से 2014–15 में 10%से 72% तक का विचलन किया गया, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका लेखा समिति बजट का अद्ध वार्षिक समीक्षा कर यह जाँच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। जवाब दिया गया कि पर्याप्त कर्मचारियों एवं पद की योग्यता नहीं रखनेवाले कर्मचारियों के आभाव तथा संबंधित विषय के विशेषज्ञ नहीं रहने के कारण अशंतः इसका पालन नहीं हो पाया आवश्यक निर्देश लेखापाल को दिया जा रहा है। जवाब स्पष्ट नहीं है। बजट निर्माण में समीक्षा आवश्यक है बजट प्रावधानों के अनुकूल बनाया जाए।

(127)

13. वित्तीय विवरण और बैलेंश शिटः– अप्रस्तुत

14. आय–व्यय :–

आय–व्यय

नगर पंचायत द्वारा लेखापरीक्षा में पूर्ण संधारित रोकडबही उपलब्ध नही कराया गया था जिस कारण आय–व्यय की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका परंतु जवाब के साथ आय व्यय उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार नगर पंचायत के वर्ष 2012–13 से 2014–15 के आय–व्यय निम्न है :–

	2012–13	**2013–14**	**2014–15**
प्रारंभिग शेष	12618057.38	17276124.38	12898219.31
प्राप्ति	13648637	12087483	24896729.75
कुल	26266694.38	29363607.38	37794949.06
व्यय	8990570	16465388.07	17113907.95
अवशेष	17276124.38	12898219.31	20681041.11

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–III में संलग्न)

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

(i) लेखापाल रोकड़ बही में 1.10.13 से 21.11.13 तक कोई आय–व्यय नहीं दर्शाया गया था ।

(ii) लेखापाल रोकड़ बही के 30.9.13 के अंतशेष एवं 22.11.13 के प्रारंभिक शेष के अंतर की राशि ₹ 7400996.93 (₹7598495–₹197498.07) का वर्गीकरण नहीं दर्शाया गया।

(iii) रोकड़ बही में भाउचर संख्या नहीं दर्शाया गया ।

(iv) रोकडबही में 2014–15 के आय–व्यय सार का विवरण तिथि चेक सं0 के अनुसार नहीं दर्शाया गया था ।

(v) वर्ष के अंत में रोकडबही एवं पासबुक का सार नहीं बनाया गया ।

(vi) 1.4.12 से 30.9.13 तक किस मद से राशि प्राप्त हुई है, एवं किस मद से व्यय किया गया है, इसका वर्णन नहीं था।

(vii) बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 12(1) के अनुसार नगर पंचायत में लेखापाल रोकडबही निर्धारित प्रपत्र बी0एम0आर0 प्रपत्र सं0–1 में संधारित करना था। परंतु रोकडबही निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं किया गया था ।

(viii) कोषागार से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण कोषागार पासबुक में संधारित की जा रही थी । आय–व्यय की राशि के लिए लेखापाल रोकडबही में राशि संधारित की जानी चाहिए थी ।

(ix) लेखापरीक्षा में लेखापाल रोकडबही कोषागार, SJSRY, 13th एवं BRGF के पूर्ण संधारित रोकडबही प्रस्तुत नहीं किया गया था ।
जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दिया गया था।
लेखापरीक्षा में उपर वर्णित तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया था। अतः इसे अगले अकेंक्षण में स्पष्ट किया जाए। उपलब्ध कराये गए आय व्यय की जॉच संधारित रोकडबही से की जाए।

15. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 13 (1) के अनुसार बैंक बही का संधारण लेखापाल को बी.एम.ए.आर प्रपत्र सं0–3 में करना है जिसमें प्रत्येक बैंक खातों के लिए पन्नों की श्रृंखला जिसमें बैंक का विवरण तथा खाता सं0 नामित कर तैयार किया जाना है। बैंक बही में प्रत्येक बैंक या ट्रेजरी खातों में जमा एवं निकासी से संबंधित चाहे नकद या चेक में लेनदेन की गई हो सारी प्रविष्टियाँ की जाएगी, इसके अतिरिक्त 13 (5) में प्रावधान किया गया है कि बैंक या कोषागार के खातों में वास्तविक अंतशेष का मिलान समय–समय पर तथा कम से कम महिने में एक बार बैंक बही के साथ करना है। लेकिन नगर पंचायत, खुसरूपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बैंक बही का संधारण नहीं किया गया।

नगर पंचायत खुसरपुर द्वारा उपलब्ध आय व्यय विवरणी के अनुसार 31 मार्च 2015 तक रोकड़बही का अंतशेष ₹20681041.11 था।

लेखापरीक्षा में उपलब्ध बैंक पास बुक एवं कोषागार विवरणी के अनुसार बैंक पास बुक का कुल अंतशेष ₹20945713.94 था। अतः ₹264672.83 (₹20945713.94–₹20681041.11) का अंतर का समाधान नहीं किया गया था, तेरहवीं वित्त की रोकड़बही लेखापरीक्षा में उपलब्य करायी गयी थी परन्तु रोकड़बही पूर्ण रूप से संधारित नहीं था जिस कारण 13th FC की आय व्यय तैयार नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

(i) रोकड़बही एवं पास बुक के अंतर ₹ 264672.83 का समाधान नहीं किया गया था।

(ii) जवाब के साथ आय–व्यय विवरणी उपलब्ध कराया गया जिसकी संबंधित रोकडबही सें जॉच नही की जा सकी

(iii) 13th FC के रोकड़बही का अभी तक पूर्ण संधारण नहीं किया गया था

अतः उपयुर्क्त तथ्यों का स्पष्टीकरण अगले अकेंक्षण मे किया जाए।

(125

भाग–II (क)–शून्य
भाग–II (ख)

1. बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के चार कर्मियों के वेतन का अग्रिम भुगतान किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार बगैर सशक्त स्थायी समिति के सहमति के राज्य सरकार न'ारपालिका निधि से व्यय किये जाने वाले पदाधिकारियों अथवा कर्मियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी तथा अगर राज्य सरकार इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है तो ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

लेकिन नगर पंचायत के भुगतानों के जाँच में पाया गया कि नगरपालिका निधि अंतर्गत चतुर्थ राज्य वित्त की राशि से चेक सं0 073544 दिनांक 05.01.2015 के द्वारा रू0 813728 का ड्राफ्ट निदेशक, बुडा के पक्ष में बनाकर नगर पंचायत कार्यालय में नियुक्त किये जाने वाले चार कर्मियों के संभावित वेतन के लिए अग्रिम के रूप में भेजा गया था।

इस भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3343 दिनांक 5.11.14 के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को मैन पावर में होने वाले संभावित व्यय की राशि ₹ 813728 को दिनांक 22.11.2014 को होने वाली विभागीय बैठक में निश्चित रूप लाने को कहा गया था।

यह व्यय राज्य सरकार द्वारा बगैर किसी कार्य के चार कर्मियों (एक कनीय अभियंता, एक लेखापाल तथा दो लिपिक) के संभावित वेतन के लिए अग्रिम में ले लिया गया था तथा उसके उपरांत इन चारों कर्मियों को नि ुक्त करने के लिए नगर पंचायत कार्यालय में भेज दिया गया था। जिन्होंने दिसंबर 2014 में नगर पंचायत कार्यालय में योगदान दिया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

पदनाम	**योगदान करने वाले कर्मी का नाम सर्वश्री**	**योगदान की तिथि**
कनीय अभियंता	शहजाद मंजर	26.12.14
लेखापाल	आशीष कुमार सिन्हा	01.12.14
लिपिक	शम्भु कुमार	02.12.14
लिपिक	अजय कुमार सिन्हा	02.12.14

इन नियुक्तियों के संबंध में निम्न बिन्दुओ को स्पष्ट नही किया गया:–

1. क्या सशक्त स्थायी समिति द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत इन व्यक्तियों की नियुक्ति की सहमति राज्य सरकार को दी गयी।
2. क्या नगर परिषद कार्यालय द्वारा राज्य सरकार से कर्मियों की मॉग की गयी।

3. अगर सशक्त स्थायी समिति द्वारा इसकी सहमति नहीं दी गयी थी तो ₹ 813728 का चेक नगर परिषद कार्यालय द्वारा क्यों निर्गत किया गया
4. इस नगर परिषद में उपरोक्त में से कोई पद स्वीकृत नहीं है तो फिर इन पदों पर नियुक्ति के लिए नगरपालिका निधि से चेक क्यों निर्गत किया गया
5. सशक्त स्थायी समिति द्वारा इस भुगतान के लिए स्वीकृति कब दी गयी थी

जवाब दिया गया कि नियुक्ति के पूर्व निकाय से रिक्तियों की संख्या माँगी गयी थी जिसे निकाय द्वारा भेजा गया था रिक्तियो के अनुरूप ही संभावित पदो पर वांछित योग्यता धारक उम्मीदवार का चयन कर नगर विकास विभाग द्वारा चार कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ताकि निकाय का काम सुचारू रूप से चल सके ।

अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत इन व्यक्तियों की नियुक्ति की सहमति राज्य सरकार को दी गयी थी अथवा नहीं। अगर सशक्त स्थायी समिति द्वारा इसकी सहमति नहीं दी गयी थी तो ₹ 813728 का अग्रिम भुगतान बगैर कर्मियों द्वारा सेवा दिये करना नियमानुकूल नहीं था। इसके अतिरिक्त इस नगर पंचायत में उपरोक्त में से कोई पद स्वीकृत नहीं था तो इनके वेतन के लिए अग्रिम भुगतान नगरपालिका निधि से करना भी नियमानुकूल नहीं था।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उचित जवाब दिये जाने तक भुगतान की गयी राशि ₹ 813728 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

2.योजना कार्यान्वयन में विपत्र से विलंब शुल्क की कटोती नहीं ₹ 2.84 लाख

नगर पंचायत, खुसरूपुर द्वारा उपलब्ध संचिका एवं विवरणी के नमूना जॉच में पाया गया कि विभिन्न कार्यान्वित योजना में विलंब शुल्क की कटौति नहीं की गई थी। एकरारनाम में संविदा के शर्त (2) के अनुसार प्रत्येक दिवस विलंब के रूप में प्राक्कलित राशि के 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन और अधिकतम 10 प्रतिशत विलंब शुल्क के रूप में कटौती की जानी थी । परंतु विभिन्न कार्यान्वित योजना में संवेदक के विपत्रों से विलंब शुल्क की कटौति नहीं की गई थी । जिससे नगर पंचायत को ₹ 284488 की हानि हुई है जिसका विवरण निम्न है :–

क्र0 सं0	योजना सं0	प्रा0 राशि	कार्यादेश तिथि	निर्धारित समय(दिन)	कार्य पूर्ण की तिथि	विलंब शुल्क की राशि
1	07/12-13(BRGF)	125966	9.7.12	30	10.1.13	12597
2	21/12-13(BRGF)	498011	29.1.13	60	5.8.13	49801

123

3	23/12-13(BRGF)	363800	12.3.13	60	23.6.13	36380
4	09/13-14	498900	18.9.13	60	6.2.14	49890
5	07/13-14	192200	29.6.13	60	4.3.14	19220
6	13/13-14	284000	30.5.14	60	20.8.14	28400
7	14/13-14	490000	30.5.14	60	20.8.14	49000
8	15/13-14	490000	30.5.14	60	16.8.14	41650
	Total					286938

जवाब दिया गया कि योजनाओं के कियान्वयन के कम में प्रावधानों के अंतर्गत ससमय दिए गए आवेदनों पर व्यवहारिक एवं तकनीकी कारणों को देखते हुए ससमय विस्तार की स्वीकृति दी गई थी ।

जवाब संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ससमय विस्तार की स्वीकृति आदेश संचिका में संलग्न नहीं पायी गयी थी। अतः स्वीकृति आदेश का स्पष्टीकरण दिये अथवा दिखाये जाने तक राशि ₹ 286938 आपत्ति के अंर्तगत रखी जाती है।

3.मकान कर की राशि ₹ 892/– कम जमा

नगर पंचायत कार्यालय, खुसरूपुर के वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 के अवधि के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कर संग्राहक, श्री अरविन्द कुमार को कम संख्या 13951–14000 का रसीद बुक 17–10–14 को तथा श्री रामदेव दास को कम सं0– 13701–13750 का रसीदबुक 19.3.14 को निर्गत किया गया था जिसमें कुल मिलाकर रू0 892 कम जमा किया गया, जिसका विवरणी निम्न प्रकार है ।

क0सं0	रसीद सं0	निर्गत तिथि	संग्रहित की गई राशि	जमा की गयी राशि	नहीं जमा की गई राशि
1	13998	13.12.14	880	88	792
2	13747	22.5.14	179.20	70.20	100
कुल					892/–

जवाब दिया गया कि अकेंक्षण के दौरान राशि ₹ 892 जमा कर दिया गया था।

4.होल्डिंग कर बकाया ₹ 8.40 लाख –

नगर पंचायत, खुसरूपुर कार्यालय के कर शाखा द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत में नगर पंचायत का कुल ₹ 840103 होल्डिंग टैक्स के रूप में बकाया था, जिसका विवरण निम्न है :–

वर्ष	कुल माँग	कुल वसूली	कुल बकाया
2014–15	1054438	214335	840103

बकाये होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए नगर पंचायत कार्यालय द्वारा क्या कारवाई की गयी थी तथा टैक्स वसूली के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में दिए गए प्रावधानों में से किन–किन प्रावधानों का उपयोग किया गया था ।

जवाब दिया गया कि पूर्व में नियोजित टैक्स कलेक्टर वर्ष 2011 में ही सेवा निवृत हो चुके थे एवं उनके स्थान पर 4 टैक्स कलेक्टर कमीशन पर रखे गये परन्तु कुछ दिनों के बाद कम कमीशन के बजह से तीन कलेक्टरों ने कार्य छोड दिए था वर्तमान में सिर्फ एक ही कार्यरत है। जिस कारण से कलेक्शन टैक्स प्रभावित हुई है।

जवाब संतोषजनक नहीं है। क्योंकि वसुली नहीं होने से नगर पंचायत को राजस्व की हानि हो रही है। अतः होल्डिंग कर की बकाया राशि ₹ 840103 की वसूली के लिए अपेक्षित प्रयास किए जाए। राशि की यथाशीघ्र वसूली कर अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

5.SJSRY में अनियमित व्यय

लेखापरीक्षा में उपलब्ध संचिका के जाँच में पाया गया कि पत्रांक 2/स्वर्ण–02/11/927/न0वि0 एवं आ0वि0/ दिनांक 6.9.12 के अनुसार स्वर्ण जयंति शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के युवक एवं युवतियों को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाना था । प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण देने के लिए समाधान सेवा समिति से दिनांक 27.9.12 के अनुसार एकरारनामा किया गया जिसके तहत कम्प्यूटर में 86, फैशन डिजाईनिग में 24 ब्युटिशीयन में 10 प्रशिक्षणार्थीयों के साथ एकरारनामा किया गया । पत्रांक 187 दिनांक 05.4.13 सरकार को भेजे गए पत्र में कम्प्यूटर ट्रेनिंग में 86, फैशन डिजाईनिग में 40 ब्युटिशीयन में 10 को प्रशिक्षण दिए जाने की सूचना दी गई थी । परंतु नोटशीट के अनुसार कुल 135 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण देकर कुल ₹ 1350000 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्न है :–

कमांक	चेक सं0	दिनांक	भुगतान	अभ्युक्ति
1	780113	12.11.12	400150	समाधान सेवा समिति

(12)

2	780114	25.3.13	251025	–तथैव–
3	780115	25.3.13	457800	–तथैव–
4	780120	5.9.13	241025	–तथैव–
		कुल	1350000	

पत्रांक–196 दिनांक 12.4.13 के अनुसार प्रशिक्षणार्थी को टूल किट्स आदि दिया जाना था परंतु पत्रांक–187 दिनांक 5.4.13 के अनुसार प्रशिक्षण 3 अप्रैल, 2013 को समाप्त हो गया था । प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण बाद टूल किट्स देने का क्या औचित्य था । संचिका जॉच में पाया गया कि प्रशिक्षण संबंधित जॉच के लिए नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी तथा संपूर्ण प्रशिक्षण का मानिटरिंग करना था । परंतु इसकी जॉच प्रतिवेदन वार्ड पार्षद या अध्यक्ष द्वारा दिया गया था ।

संचिका जाँच में पाया गया कि 16 प्रशिक्षणार्थी को बिना एकरारनामा के भुगतान किया गया, विवरण निम्न है :–

कमांक	**एकरारनामा के अनुसार**	**नोटशीट के अनुसार**	**अधिक भुगतान**
1	प्रशिक्षण 24x6700=160800	40x6700=268000	107200
2	टूलकिट्स 24x3391=81384	40x3391=135640	54256
			161456

लेखापरीक्षा में निम्न तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया था :–

(i) एकरारनामा 120 प्रशिक्षणार्थी का करके प्रशिक्षण 136 प्रशिक्षणार्थी को किस आधार पर दिया गया

(ii) प्रशिक्षण के मानिटरिंग का आदेश नगर प्रबंधक को दिया गया था पर प्रशिक्षण की जॉच वाड पार्षद या अध्यक्ष द्वारा किए जाने का क्या आधार था ।

(iii) टूल किट्स प्रशिक्षण के बाद दिया गया जबकि टूल किट्स प्रशिक्षण से पहले या प्रशिक्षण के दौरान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण बाद दिए जाने का क्या औचित्य है, जब प्रशिक्षण समाप्त हो गया था ।

(iv) प्रशिक्षण किस स्थान पर दिया गया है, इसका कोई वर्णन संचिका में नहीं पाया गया ।

(v) क्या संस्था द्वारा 30 प्रतिशत रोजगार प्रशिक्षणार्थीयों को उपलब्ध कराया गया ।

जवाब दिया गया कि शुद्धि पत्र निकालकर एकरारनामा को संशोधित किया गया था। नगर प्रबंधक के अनुपस्थित रहने के कारण नगर पंचायत अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यपालक शक्ति प्रदत समिति के सदस्यों से मानिटरींग का कार्य कराया गया।

राशि ससमय नही होने के कारण टुल किटस बाद में दिया गया।टूल किटस का उपयोग स्वरोजगार से जीविका उपार्जन करना था। प्रथम आवश्यकता पूर्ति हेतु टूल किट प्रदान किया गया कंप्यूटर कोर्स वार्ड न0 4, फैशन डिजाइनिंग का वार्ड न0 3 एवं ब्यूटिशयन का वार्ड न01 में प्रशिक्षण दिया गया। एन0जी0ओ0 संस्था द्वारा प्रशिक्षण कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। कुछ का चयन किया गया था।

जवाब संतोषजनक नही है क्योंकि संस्था से बिना एकरारनामा किए 16 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण किस आधार पर दिया गया। प्रशिक्षण के लिए वार्ड मे क्या मूलभूत सुविधाए थी किस स्थान पर प्रशिक्षण दिया गया इसका कोई वर्णन संचिका मे उपलब्ध नहीं था शर्त के अनुसार प्रशिक्षाणर्थी को प्रशिक्षण दनेवाली संस्था द्वारा रोजगार उपलब्ध कराना था, जो उपलब्ध नहीं कराया गया। टूल किट का कार्य प्रशिक्षण के दौरान दिया जाना था परंतु बाद में दिए जाने का ओचित्य स्पष्ट नहीं है। अतः इन तथ्यों का स्पष्टीकरण दिए जाने तक राशि ₹ 1350000 आपति के अंतगर्त रखी जाती है।

6.मोबाईल टावर बकाया ₹0.78 लाख

बिहार संचार मीनारो से संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 में प्रावधान किया गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरो से पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 30000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क ₹ 8000 प्रतिवर्ष वसूल किया जाना है, इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरांत नवीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

नगर पंचायत खुसरूपुर में कितने संचार मीनार अधिष्ठापित है तथा उनमें से कितने का पंजीकरण नगर पंचायत कार्यालय में किया गया था के माँग एवं वसूली पंजी का संधारण कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार वित्तिय वर्ष 2014–15 तक नगर पंचायत क्षेत्र में 3 मोबाईल टावर कार्यरत थे। जिसका नवीकरण नगर पंचायत कार्यालय द्वारा नहीं किया गया। इन टावरो पर मार्च 2015 तक कुल ₹ 78000 बकाया था। लेखापरीक्षा के निम्न तथ्यों को स्पष्ट नही किया गयाः–

(i) नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर के माँग एवं वसूली पंजी का संधारण क्यों नहीं किया गया था।

(ii) क्या बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पंचायत द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था।

(iii) राजस्व जमा नहीं करने पर इसके विरूद्ध दण्डान्तमक कारवाई क्यों नहीं की गई।

ज्वाब दिया गया कि उच्च नयायालय के आदेश के आलोक में स्थगित रखा गया था समय समय पर नाटिस दिया जाता रहा है। बकाया राशि ₹ 78000 की वसूली के लिए कारवाई की जाए।

7.सक्शन मशीन के कय पर निरर्थक व्यय

नगर पंचायत, खुसरूपुर के तेरहवें वित्त से व्यय की गयी राशि के जाँच में पाया गया कि चेक सं0 848714 दिनांक 24.4.2013 से रू0 564764 का भुगतान एक सक्शन मशीन के कय के लिए किया गया था।

इस मशीन के कय से संबंधित संचिका की जॉच में पाया गया कि इसके कय के लिए निविदा का प्रकाशन दैनिक हिन्दुस्तान में 06 जनवरी 2013 को किया गया था, जिसके अनुसार इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/विकेताओं को दिनांक 15.01.2013 के अपराह्य 3:00 बजे तक सीलबंद निविदा समर्पित करनी थी।

इस मशीन के लिए दो निविदा प्राप्त हुयी थी। एक मार्श इक्यूपमेन्ट्स, लखनऊ का था तथा दूसरा बालाजी कॉरपोरेशन, बोरिंग रोड, पटना का था। बालाजी कॉरपोरेशन के तकनीकी बीड के अनुरूप कागजात नहीं रहने के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था तथा मार्श इक्यूपमेन्ट्स के निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इन दोनों आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सक्शन मशीन का दर नहीं दर्शाया गया था।

कार्यालय के पत्रांक 36 दिनांक 29.1.13 द्वारा मार्श इक्यूपमेन्ट्स, लखनऊ को ₹ 594488 की स्वीकृत निविदा दर पर सक्शन मशीन आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध दिनांक 29.3.2013 को एक सक्शन मशीन की आपूर्ति की गयी थी, जो नगर पंचायत कार्यालय में अनुपयोगी पड़ी हुयी थी तथा अभी तक उसका कोई उपयोग नहीं किया गया था।

इस संबंध में निम्न बिन्दुओं को अंकेक्षण में स्पष्ट नही किया गया था:–

1. सक्शन मशीन की आवश्यकता किस आधार पर निर्धारित की गयी
2. क्या कभी नगर पंचायत क्षेत्र से सक्शन मशीन के लिए आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुआ
3. बालाजी कॉरपोरेशन के तकनीकी बीड के अनुरूप कागजात नहीं रहने के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था। इसमें कौन से कागजात नहीं थे का उल्लेख तुलनात्मक विवरणी में क्यों नहीं किया गया
4. मार्श इक्यूपमेन्ट्स, लखनऊ को ₹ 594488 की स्वीकृत निविदा दर पर सक्शन मशीन आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था। यह दर किस आधार पर दिया गया था तथा इसका उल्लेख तुलनात्मक विवरणी में क्यों नहीं किया गया
5. यह मशीन दो वर्षों से अधिक अवधि से अनुपयोगी पड़ी हुयी थी तथा इसका कोइ उपयोग नहीं हुआ था। बगैर आवश्यकता का आकलन किये सक्शन मशीन का कय क्यों किया गया
6. इस मशीन की मॉग नगर पंचायत क्षेत्र में कब–कब की गयी थी
7. इस मशीन का परिचालन क्यों नहीं किया जा रहा

नगर पंचायत, खुसरूपुर बहुत ही छोटा क्षेत्र है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग ₹16000 है। इतने कम जनसंख्या के लिए सक्शन मशीन की उपयोगिता नगण्य थी।

जवाब दिया गया कि निकाय बोर्ड ने अपने बैठक संख्या 15 दिनांक 30.8.12 में समीपवर्ती नगर निकाय बखितयारपुर के दर पर नगर निकाय एवं आवास विभाग के परिपत्र संख्या 5245 दिनांक 26. 11.2007 के अनुसार क्रय करने का निर्णय किया था। परन्तु अतिरिक्त पारदर्शिता के पालनार्थ समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन कर न्यूनतम दर पर ही क्रय किया गया था। उल्लेखनीय है कि सरकार के भंगी मुक्ति योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्र भंगी मुक्ति घोषित है अतएव शुष्क शैचालय को समय–समय पर सफाई करने हेतु सक्शन मशीन की नितांत आवश्यकता होती है अन्यथा इसकी सफाई भंगियो द्वारा किए जाने के अतिरिक्त कोई संसाधन नही है। शुष्क शौचालय सफाई हेतु जब इसकी माँग होगी तब इसें चलाया जाएगा।

जवाब संतोषजनक नही है क्योकि दो वर्ष सें अधिक का समय बीत जाने पर भी मशीन का परिचालन नही किया गया और मशीन निरर्थक पड़ी हुई है । नगर पंचायत क्षेत्र में मांग कब–कब की गई इसका कोई जवाब नही दिया गया। बिना उपयोगिता के मशीन का क्रय किया गया। अतः निरर्थक व्यय की गई राशि ₹ 564764 वसूलनीय हे।

8.बगैर उपयोगिता के चार फॉगिंग मशीनों का क्रय किया जाना

नगर पंचायत, खुसरूपुर के विपत्रों की जॉच में पाया गया कि दिनांक 14.6.2013 को चार पोर्टेबल फॉगिंग मशीन का क्रय रत्नागिरि इम्पेक्स प्रा0 लि0, बैंगलोर से किया गया था, जिसके लिए तेरहवें वित्त की राशि से चेक सं0 246674 दिनांक 22.8.2013 द्वारा ₹ 425788 का भुगतान किया गया था। इन चारों मशीन का मूल्य रू0 409500 तथा 24 ली0 केमिकल का मूल्य ₹ 51600 था, जिसमें से रू0 12262 की आयकर तथा रू0 23050 की सेल्स टैक्स कटौती की गयी थी। ये मशीनें आपूर्ति करने की तिथि से अभी तक मात्र चार दिन ही उपयोग किये गये ।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा मार्च 2013 में क्रय किये गये फॉगिंग मशीन जिसका मूल्य ₹ 224772 था के लॉग बुकों की जाँच में पाया गया कि इस मशीन का मात्र चार दिन परिचालन दर्शाया गया था, जिसमें से तीन दिन दिनांक 5.6.13, 9.6.13 तथा 14.6.13 को कार्यालय में केमिकल उपलब्ध नहीं था तथा इसके उपरांत मात्र दिनांक 21.9.13 को इसका परिचालन किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा पूर्व में क्रय किये गये फॉगिंग मशीन का ही उपयोग नहीं हो रहा था तथा क्रय के उपरांत दो वर्षों की अवधि में मात्र एक दिन ही इसका परिचालन किया गया था तथा अधिकांश अवधि में यह मशीन अनुपयोगी पड़ी हुयी थी। इसके बावजूद नगर पंचायत कार्यालय द्वारा चार और मशीनों का क्रय कर लिया गया तथा नगर पंचायत निधि से ₹ 409500 का व्यर्थ व्यय कर दिया गया।

जवाब दिया गया कि नगर पंचायत में पुराने मकानों की संख्या अधिक है यहां गलियॉ 3–4 फीट चौडी है जिससे बडा फॉगिंग मशीन का पहुँचना सम्भव नही था स्थानिय नागरिक के स्वास्थ्य को देखते हुए छोटा मशीन का क्रय किय गया निकाय मे कुशल श्रमिक उपलब्ध नही रहने के कारण इसका परिचालन आवश्यकता अनुसार कराया गया ।

जवाब संतोषजनक नही है क्योकि उपलब्ध श्रमिक नही रहने के कारण कार्यालय द्वारा छिडकाव की कोई योजना नही थी बिना किसी योजना और आवश्यकता के चार फागिंग मशीन पर निर्थक व्यय

किया गया अतः निरर्थक व्यय की गई राशि ₹409500 वसूलनीय हैं जिसकी वसूली जिम्मेवार वयक्ति से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए

9.अप्रस्तुत अभिश्रव ₹ 300566/–

नगर पंचायत कार्यालय, खुसरूपुर के अंकेक्षण अवधि 2012–13 से 2014–15 के रोकड़पाल रोकडबही के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर कार्यालय में विभिन्न मद में ₹ 300566/– की राशि भुगतान की गयी है जिसकी विवरणी निम्न है।

अप्रस्तुत अभिश्रव की विवरणी

क0सं0	चेक संख्या	निर्गत की तिथि	राशि	अभियुक्ति
1	312776	2.5.12	24189	गड्ठा भराई हेतु
2	312778	2.5.12	4000	अकनुलेंस बीमा
3	312779	19.5.12	2100	बिहार दिवस पर बल्ब सजावट हेतु
4	312780	"	7500	मोबाइल क्रय हेतु
5	312781	19.5.12	7500	"
6	312783	26.5.12	864	डीजल आपूर्ति
7	312784	"	2000	फोटोस्टेट
8	312785	31.5.12	1000	गाडी भाड़ा
9	312786	6.6.12	216	डीजल क्रय हेतु
10	312792	11.7.12	4200	टेंट सामियाना हेतु
11	312795	23.7.12	61344	सी0एफ0एल बल्ब क्रय
12	312797	11.8.12	3000	झंडोत्तलन हेतु
13	312799	11.8.12	1000	सी0ऑयल क्रय हेतु
14	312800	11.8.12	250	विद्युत तार स्वीच क्रय
15	312804	4.10.12	406	टेलीफोन बिल भुगतान

क0सं0	चेक संख्या	निर्गत की तिथि	राशि	अभियुक्ति
16	312808	13.10.12	50000	कर्मिकों को अग्रिम भुगतान
17	312813	19.10.12	600	सुरेन्द्र पासवान को
18	312814	"	3000	मोबाईल रीचार्ज
19	312815	"	3000	"
20	312812	"	2339	फोटोस्टेट
21	312810	"	1250	विद्युत तार एवं मजदूरी
22	312817	"	982	अरविन्द को
23	312816	"	500	पेट्रोल कय हेतु
24	312819	21.11.12	28810	ट्रेक्टर की बौडी
25	312825	19.12.12	2050	इंटरनेट मॉडल का कय
26	312826	22.12.12	1000	न्यायालय में समझौता हेतु
27	312833	17.1.13	900	ईंधन कय
28	312836	19.1.13	5000	गणतंत्र दिवस हेतु
29	312837	19.1.13	2500	डी0टी0पी0 वर्ल्ड को भुगतान
30	312838	22.2.13	1401	शिक्षक नियोजन में सामग्री कय हेतु
31	312835	"	1083	कम्प्यूटर पर कय हेतु
32	312840	"	670	प्रिंटर कार्टरेज कय हेतु
33	312841	"	2820	नेमप्लेट, एकरंगा कय हेतु
34	312842	23.2.13	400	पेपर कय
35	386851	17.12.13	2000	स्टेशरी, प्रींटिंग

115

क0सं0	चेक संख्या	निर्गत की तिथि	राशि	अभियुक्ति
36	312846	1.4.13	1095	टॉर्च, नास्ता हेतु
37		1.1.14	1401	शिक नियोजन के लिए सामग्री क्रय
38	386855	24.1.14	5000	26 जनवरी के लिए
39	386856	16.2.14	5000	कार्यालय के विविध मद
40	386857	13.3.14	7060	कार्यालय उपस्कर
41	846190	18.3.14	25000	उपस्कर क्रय हेतु
42		25.3.14	26136	हिन्दुस्तान लि0 को निविदा विज्ञापन हेतु
		Total	300566	

जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दिया गया था। जबाब सही नही है क्योंकि अंकेक्षण गार्ड फाईल में संधारित नहीं था और न ही इसकी जॉच कराई गई अतः जॉच किए जाने तक राशि ₹300566 आपति के अंर्तगर्त रखी जाती है।

10.सामाजिक सुरक्षा के तहत भुगतान की गयी राशि का अभिश्रव/उपयोगिता अप्रस्तुत

नगर पंचायत कार्यालय, खुसरूपुर के लेखापरीक्षा अवधि 2012–13 से 2013–14 के रोकडपाल रोकडबही के अंकेक्षण में पाया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत रू0 3600000/– की राशि भुगतान की गयी जिसकी विवरणी इस प्रकार है :–

क्र0 सं0	जिस महीने में भुगतान हुआ	भुगतान की राशि
1	August, 2014	1200000
2	November, 2014	900000
3	February, 2015	1500000
	Total	3600000